भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1306

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों से लोगों का पलायन

1306. श्री राजकुमार रोत:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षो के दौरान देश के पाँचवीं अनुसूची में शामिल राज्यों में बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों से रोजगार के लिए गुजरात जाने वाले लोगों के पलायन को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कोई विशेष योजना लागू करने वाली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने संबंधी उपबंध और कुशल तथा अर्द्ध -कुशल कामगारों के लिए नियत मौजूदा मजदूरी दरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार वर्तमान मजदूरी दरों को बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) : रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2019-20 में 4.8% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। देश के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के राज्यों सहित, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत जानकारी पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमिकों का प्रवास एक सतत तथा निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके रोजगार के अवसर सृजित करने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, ताकि लोगों को अपने राज्य में ही रहने, आजीविका कमाने और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निवास स्थान के निकट रहने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं सहित सभी की रोजगार क्षमता में सुधार के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि को लागू कर रहे हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, उपयुक्त सरकार के तौर पर, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करती हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 2017 में केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया गया।

इसके अलावा, बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, केंद्र सरकार हर छह महीने में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करती है, जो क, ख और ग क्षेत्रों में (क्षेत्रों का वर्गीकरण अनुबंध-।। में दिया गया है)। सभी अनुसूचित रोजगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी होता है। केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों के लिए कौशल (अर्थात, अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल, उच्च कुशल) के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए वीडीए सहित नवीनतम न्यूनतम मजदूरी, जो 01.04.2025 से लागू है, अनुबंध-। में दी गई है।

हाल ही में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है और उन्हें मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह संहिता न्यूनतम मजदूरी को सभी रोजगारों में सार्वभौमिक रूप से लागू बनाती है और इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अनुसूचित रोजगारों तक सीमित न्यूनतम मजदूरी की प्रतिबंधात्मक प्रयोज्यता से आगे बढ़ती है।

*****

अनुबंध-।

लोक सभा के दिनांक 28.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1306 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रवार दरें (01.04.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्रमांक	अनुसूचित रोजगार	श्रमिकों की श्रेणी	प्रतिदिन वीडीए सहित मजदूरी की दरें (रुपये में)		
			क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1.	कृषि	अकुशल	514	470	465
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	562	516	475
		कुशल/लिपिकीय	610	562	515
		अत्यधिक कुशल	675	628	562
2.	बुहारना और सफाई करना +	अकुशल	805	674	541
3.	वॉच एंड वार्ड	बिना हथियार के (प्रशिक्षण के साथ कुशल में अपग्रेड किया गया)	981	893	760
		शस्त्रों सहित (पर्यवेक्षण के लिए उच्च कुशल तक उन्नत)	1065	981	893
4.	माल और ढुलाई/ लोडिंग और अनलोडिंग #	अकुशल	805	674	541
5.	निर्माण ^	अकुशल	805	674	541
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	893	760	632
		कुशल/लिपिकीय	981	893	760
		अत्यधिक कुशल	1065	981	893
6.	पत्थर की खदानों में स्टोन ब्रेकिंग और स्टोन क्रशिंग के लिए लगे श्रमिक	1. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ अतिरिक्त भार की खुदाई और हटाना:			
		(क) नरम मिट्टी		545	
		(ख) चट्टान के साथ नरम मिट्टी		818	
		(ग) चट्टान		1083	
		2. 50 मीटर लीड/1.5 मीटर लिफ्ट* के साथ अस्वीकृत पत्थरों को हटाना और		438	

		स्टेक/रखना		
		3. **पत्थर के आकार की श्रेणी के हिसाब से स्टोन ब्रेकिंग और स्टोन क्रशिंग		
		(क) 1.0 इंच से 1.5 इंच	3323	
		(ख) 1.5 इंच से 3.0 इंच तक	2842	
		(ग) 3.0 इंच से 5 इंच तक	1669	
		(घ) 5.0 इंच से ऊपर	1372	
7.	गैर-कोयला खदानें $		जमीन के ऊपर {प्रतिदिन वीडीए सहित मजदूरी की दरें (रुपये में)}	जमीन से नीचे {प्रतिदिन वीडीए सहित मजदूरी की दरें (रुपये में)}
		अकुशल	541	674
		अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	674	805
		कुशल/लिपिकीय	805	938
		अत्यधिक कुशल	938	1048

* 2.831 प्रति घन मीटर या 100 घन फीट

** 5.662 घन मीटर या 200 घन फीट प्रति ट्रक भार

+ मैनुअल स्कैवेंजरों का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर बुहारने और सफाई के रोजगार में लगे कर्मचारी।

(i) रेलवे के माल शेड, पार्सल कार्यालय; (ii) अन्य माल शेड, गोदाम, वेयर हाउस और अन्य समकक्ष रोजगार; (iii) डॉक्स और बंदरगाह; और (iv) हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) पर यात्री माल और कार्गो की ढुलाई में लगे कर्मचारी।

^ सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भवन निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारी, जिनमें भूमिगत विद्युत, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, विद्युत लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें और सीवरेज पाइप लाइनें बिछाना शामिल है।

$ जिप्सम खान, बैराइट्स खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, क्ले खान, मैग्नेसाइट खान, सफेद क्ले खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (साबुन पत्थर और टैल्क उत्पादन करने वाली खानों सहित), गेरू खान, एस्बेस्टस खान, अग्नि क्ले खान, क्रोमाइट खान, क्वार्टजाइट खान, क्वार्ट्ज खान, सिलिका खान, ग्रेफाइट खान, फेल्सपार खान, लैटेराइट खान, डोलोमाइट खान, रेड ऑक्साइड खान, वोल्फराम खान, लौह अयस्क खान, ग्रेनाइट खान, रॉक फॉस्फेट खान, हेमेटाइट खान, संगमरमर और कैल्साइट खान, यूरेनियम खान, अभ्रक खान, लिग्नाइट खान, बजरी खान, स्लेट और मैग्नेटाइट खान में रोजगार में लगे कर्मचारी।

अनुबंध-।।

अनुबंक्षेत्र का वर्गीरण

क्षेत्र - "क"					
अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद परिसर	
बेंगलूरु	(यूए)	कानपूर	(यूए)	गाजियाबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
ग्रेटर मुंबई	(यूए)	नागपूर	(यूए)	सिकंदराबाद	
नवी मुंबई		पुणे	(यूए)		
क्षेत्र – "ख"					
आगरा	(यूए)	ग्वालियर	(यूए)	पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली -धारवाड़	(एम. कॉर्प)	पुदुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपूर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपूर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(एम.कॉर्प)	जयपूर	(एम.कॉर्प)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर- कैंट .	(यूए)	सहारनपूर	(एम.कॉर्प)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सलेम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाम	(यूए)	जमशेदपूर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपूर	(यूए)	सोलापूर	(एम.कॉर्प)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(एम.कॉर्प)	कोल्हापूर	(यूए)	तिरुवनंतपूरम	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(एम.कॉर्प)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयंबटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपूर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(एम.कॉर्प)	उज्जैन	(एम.कॉर्प)
देहरादून	(यूए)	मदूरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पूरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापूर	(यूए)	मालेगांव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(एम.कॉर्प)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(एम.कॉर्प)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(एम. कॉर्प)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)	गोरखपूर	(यूए)
नांदेड़वाघला	(एम.	ग्रेटर	(एम.कॉर्प)	नासिक	(यूए)
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)	गुंटूर	(यूए)
पंचकुला	(यूए)	गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)
क्षेत्र 'ग' में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका उल्लेख इस सूची में नहीं नोट: यूए का तात्पर्य शहरी समूह से है।					